खतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1838/2003/उदयपुर धुलिया बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य उपस्थितः- श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी। श्रीमति पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता। -- निर्णय दिनांकः 31-01-2020 योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि यह निगरानी भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के जिस निर्णय दिनांक 31-12-2002 के विरूद्ध पेश की गई है, उससे संबंधित अन्य अपीलें मण्डल के निर्णय दिनांक 29-11-2010 से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर को प्रतिप्रेषित किए गए है कि वे पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निस्तारण करें। योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता इसके विपरीत कोई तथ्य पेश नहीं कर सके है। हमने निगरानी/टीए/10085/20003/उदयपुर में पारित मण्डल के निर्णय दिनांक 29-11-10 का अवलोकन किया। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का कथन उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः मण्डल के आदेशों में एकरूपता बनाए रखने के उदेश्य से यह निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन	

खतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1838/2003/उदयपुर धुलिया बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निस्तारण करें। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	